

फॉर्म नं. 10

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मनीपुत्र वसति जगदीशचंद्र (बोगरा)

सुफदाना ..... प्री.पत्र 111-128 ..... नं. 116 ..... दि. 2021

हुकम या करारकाही मय इनिशियलस अज

नाम व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

2-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज सजिस्टर दिनांक जाकर  
द्विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 14-9-21 को  
पेश था।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कमिश्नर माण्डल

14/9

उभय पक्ष उपस्थित न होने पर अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर निकल गया है / परीक्षित है।  
अतः पत्रावली दिनांक 30-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प ग्राम भगवानपुरा  
में पेश हुई अप्रार्थिता के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए  
जिसे शा.प. किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
गया। परवारहला हारा रिफिट चेका की गई जिसे शा.प. क  
दिया गया। प्रार्थिका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
सुपक ले लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली की संख्या  
शुमार होकर अम्तर से कम है।



डॉ. पूजा सुन्दरना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

क्रमा संख्या :- 116/21 प्रा.पत्र

श्री मनीष कुमार 5/10 श्री रामलाल जैन विपक्षी - वार्ड नं. 217 बाजार रोड के  
आर नगर राउंड रबलमी मैट्रु स्मार्क हाल ईनवासी परि सिस्टि व माती  
चोरसा करेडा त 0 करेडा

बनाम

श्री अमदीश चन्द्र 5/10 श्री दामोदरलाल चाहाण निवासी - चाहाणो  
का मोहल्ला अमतानपुरा त 0 मांडल (कोरा) एस्हांजिडा पर (विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
किया कि ग्राम..... अमतानपुरा ..... पटवार हल्का..... अमतानपुरा ..... तहसील मांडल/में उसके  
संयुक्त खातों की आराजी नं..... 38/19 ..... कुल किता ..... 01

0.3794 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी  
श के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते  
खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 17.8.21 ..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
गर्थ संयह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का  
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेशा  
न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... अमतानपुरा  
त..... अमतानपुरा ..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 38/19  
..... कुल किता ..... 01 ..... रकबा..... 0.3794 हेक्टेयर.....

रे तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
ये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... अमतानपुरा ..... को ..... 400/- .....  
नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।  
स जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
गार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

हसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर किये जाने के अनुसार पत्थरगद्दी की  
रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
2021  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021